

कार्यालय:-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी

// आदेश //

क. 536 / दो-11-01/02

कटनी दिनांक:- 01/09/25

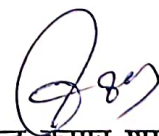
प्रशासनिक कार्य व्यवस्था एवं सुविधा की दृष्टि से, निम्न विवरण अनुसार तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण का स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

कं.	कर्मचारी का नाम	कहां से (न्यायालय/अनुभाग)	कहां को (न्यायालय/अनुभाग)	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	श्रीमती यामिनी उईके, सहायक ग्रेड-3	साक्ष्य लेखक न्या-श्री अजय कुमार नागेश, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठखण्ड के अति. न्यायाधीश कटनी	अटैच अभिलेखागार अनुभाग कटनी	अटैच
2	श्री शेख सोहेल, सहायक ग्रेड-3	साक्ष्य लेखक प्रिन्सिपल मजि0 किशोर न्याय बोर्ड कटनी	साक्ष्य लेखक न्या-श्री अजय कुमार नागेश, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठखण्ड के अति. न्यायाधीश कटनी	श्रीमती यामिनी उईके के स्थान पर
3	श्री दयाराम कुशवाहा, सहायक ग्रेड-3	अटैच अभिलेखागार अनुभाग कटनी	अटैच प्रिन्सिपल मजि0 किशोर न्याय बोर्ड कटनी	अटैच

Note-

- कार्यालयीन आदेश क्रमांक 518 कटनी दिनांक 30.08.2025 के सरल क्रमांक 13 में अंकित श्री सुनील पटेल एवं 14 में अंकित श्री रामनरेश विश्वकर्मा का किया गया स्थानांतरण एतद्वारा निरस्त किया जाता है।
- कार्यालयीन आदेश क्रमांक 518 कटनी दिनांक 30.08.2025 के नोट कं. 3. में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती हिमांशी असाटी, सहायक ग्रेड-3 (इंग्लिश नोईंग) के स्थान पर सुश्री हनी सिंह, स्टेनोग्राफर अपने कार्य के साथ-साथ आदेशिका लेखक का कार्य संपादित करेंगी।

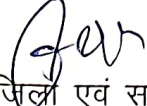
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।


(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक 2268 / दो-11-01/02
प्रतिलिपि :-

कटनी दिनांक 08/09/2025

1. कॉलम क्रं. 3 में अंकित न्यायिक अधिकारी/प्रभारी अधिकारी की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपने अधीनस्थ पदस्थ कर्मचारी को तत्काल भारमुक्त करें।
2. कॉलम क्रं. 4 में अंकित न्यायिक अधिकारी/प्रभारी अधिकारी की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित कर्मचारी की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह तत्काल अपने नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन पेश करें।
4. लेखापाल/सहायक लेखापाल/जिला नाजिर/वेतन लिपिक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी, म.प्र.